

पत्रांक 10/10451/06 - 3592
दाखिल करने का प्रमाण-पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय

झारखण्ड, राँची

दक्षिण भारत महिला समाज जनश्रेष्ठ
दिनांक 03-3-10

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं।

1. निबंधन शुल्क-50/-रुपया मात्र
2. आम सभा का प्रस्ताव।
3. स्मृति-पत्र
4. नियमावली

3-3-10
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,

दक्षिण भारत महिला समाज जनश्रेष्ठ

सैड 70-7 ब्लौअर टाठस एरिया

कदमा जनश्रेष्ठपुर 831005

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सिलाने हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

3-3-10
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक



Nº 006599

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 1038

वर्ष 2009-2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि दक्षिण भारत महिला
समाज जमशेदपुर



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।
आज तारीख तीन मास मार्च वर्ष दो हजार ३८ को रांची में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया ।

नोट -

दक्षिण भारत में निबन्धित संस्था का नाम - दक्षिण भारत महिला समाज, जमशेदपुर
दक्षिण भारत में निबन्धन संख्या - 28/1975-76
गोबर्नमेंट प्रेस, रांची ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, रांची ।